

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ अरण्य भवन, सेक्टर—19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर — 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विद्युत/479-182/1837 प्रति,

रायपुर, दिनांक24/07/2027

अपर मुख्य सचिव

छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर

विषय:

नवा रायपुर Diversion of forest land for Non-Forest Purpose under FCA 1980 proposed for Modification of 220 KV Transmission Line, new BG Electrified East West Rail Corridor from Gevra Raod - Pendra Road Railway line between location No. 278-281 in area 2.128 ha. - reg.

संदर्भ:

- 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर का पत्र कमांक/ FC-8/6/2023-IRO-Raipur/1609 दिनांक 26.03.2024
- छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय का पत्र क्र./एफ-5-25/2023/10-2 दिनांक
- मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/तक./1608 दिनांक 12.06.2024 एवं पत्र क्रमांक 3. 1832 दिनांक 08.07.2024

× × × × ×

विषयांतर्गत मरवाही वन मंडल अंतर्गत Modification of 220 KV Transmission Line, new BG

Electrified East West Rail Corridor from Gevra raod-Pendra road Railway line between location No. 278-281 के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.128 हे. वन भूमि को उपयोग पर देने हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रकरण में भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा भी संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से उपरोक्त स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन प्रेषित करने हेतु लेख किया गया है।

उक्त स्वीकृति के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा संदर्भित पत्र –3 के माध्यम से अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है जिसे अनुसार बिन्दुवार शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार

4		
7	_	
כ		
_		

言:一	G l'Aions	Compliance
S.No.	Conditions Legal status of the diverted forest land shall	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का
1.	remain unchanged.	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
	Tellian	परिशिष्ट— 1
	afforestation:-	शर्त अनुसार दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र PF-2357 रकबा
2.	Compensatory afforestation will be carried Compensatory Double degraded Forest Land	4.30 हे. में 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य
	over 4.300 Ha. Double degraded (Protected	वन विभाग द्वारा आवेदक संस्थान के व्यय पर कराया
		जायेगा इस हेतु आवेदक संस्थान द्वारा वर्तमान
	Pendra, Forest Division Marwahi, whereas, DFO,	प्रचलित दर से राशि रू. 45,72,362.00 दिनांक 23.04.
	1 Les mentioned in the suitability	2024 को एवं अंतर की राशि रू. 45,72,62.00 दिनांक
	Marwahi has inchroned the carried in Village- certificate that CA will be carried in Village- Kotmi. As far as possible, a mixture of local	
1	Rouse	

94 - Letter Power 2024 (1) dos

indigenous species along fruit /trees and 10% आनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाते में RET species shall be planted and monoculture जमा की गई है। पुष्टि हेतु जमा रसीद की प्रति संलग्न of any species shall be avoided. The User agency shall make necessary 割 facility/construction in the area to meet the परिशिष्ट- 2 water requirement for plantation and for wild animals throughout the year. The cost of compensatory afforestation at the शर्त अनुसार आवेदक के व्यय पर दुगुने बिगर्ड़ वन prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, क्षेत्र PF-2357 रकबा 4.30 हे. का सीमांकन कर 10 demarcation and erection of permanent pillar वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कार्य कराय if required on the CA land shall be deposited जायेगा । in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for work scheduled for subsequent years. 4. NPV:-The state Government shall charge the Net आवेदित वन भूमि रकबा 2.128 हे. हेतु आवेदेक Present value (NPV) for the 2.128 hac. Forest संस्थान द्वारा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि रू. area to be diverted under this proposal from the user Agency as per the order of the 7186802.00 आनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से Honble supreme Court of India dated कैम्पा खाते में दिनांक 23.04.2024 को जमा की गई है 30.10.2002, 01.08.2003. 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. जिसकी पुष्टि **परिशिष्ट**— 2 से होती है। 202/1995 and as per the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dtd 18.09.2003, letter No. 5-2/2006-FC dtd 03.10.2006, letter no. 5-3/2007-FC dtd 05.02.2009, letter no. 5-3/2011-FC (Vol-I) dtd 06.01.2022 and letter no. 5-3/2011-*FC (Vol-I) dtd 22.03.2022 in this regard. Additional amount of the NPV of the diverted शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। Supreme Court of India on receipt of the परिशिष्ट- 3 report from the Expert Committee shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an under taking to this effect. User Agency shall restrict the felling to 168 5. आवेदक संस्थान द्वारा वृक्षों के विदोहन एवं परिवहन trees in the area that fall in diversion. हेतु राशि रू. 249267.00 एवं सीमांकन हेतु राशि रू. However only the required and minimum number of trees will be felled. The trees shall 153960.00 **कुल राशि रू. 403227.00** डी.डी. क्र. be felled under the strict supervision of the 927133 दिनांक 22.04.2024 वनमण्डलाधिकारी, state Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User मरवाही वनमण्डल, पेण्ड्रारोड (छ.ग.) के पी.डी खाते में Agency With the State Forest Department. जमा किया गया है।

(5.	All the finds					
		All the funds received from the user the us	er क	म्पा मट	की जाकि क		
		and the project chall be		+	की राशि नि	नानुसार राहि	रायां परिवेश
		deposited to CAMPA fund only through portal (https://parivesh.nic.in)		र्टल के माध्यम से जमा करायी गई है :-			
		portal (https://parivesn.nic.in)		S.No.	Date	Amt.	Head
						4572362	CA
				1	23-04-2024	2614440	NPV
				2		457262	CA (diff)
				2	05-06-2024	403790	Medicinal
				3	27-06-2024	1200000	Avifauna
					Total	92,47,854	
	8.	The State Government, Chhattisgarh/ Noda Officer (FCA), Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule- 9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022. To improve the Forest/ Tree cover and to reduce pollution in the State, as mandated in National Forest Policy, 1988 and Environmental (Protection) Act, 1986 respectively, the User Agency with involvement of Joint Forest Management Committees (JFMC's) and in consultation with local DFOs shall raise at least 1,000 seedlings of forestry species along with bamboo, fruit bearing, medicinal, ornamental and indigenous/local each years for 5 years. At least 50% of seedlings shall be planted in the vicinity of project area and remaining 50% of seedlings shall be distributed among villagers as per choice of villagers. The	मान्य संस्थ port शर्त आवेव परि	ाता प्रमाप् ग्रान द्वारा al (Pari	ष्ठ कमांक 122 ग पत्र प्रेषित व वन अधिकार vesh.nic.in) में संस्थान को थान का वर्ष	ती जा चुकी है प्रमाण पत्र व में अपलोड कि	है। आवेदक की प्रति e- या गया है।
		concerned JFMC's shall maintain record of	शर्त ३	भावेदक	संस्थान को म	ग्राचा है। बर	
	9.	The trees having bird nests shall not be lened without written permission from the DCF concern, both in forest as well as non-forest land	आवेद परिशि	क संस्थ 1ष्ट — 5	ग्रान का वच	न पत्र संत	ग्न है।
+	10.	Bird diverters shall be installed at suitable	शत अ	ावदक स	स्थान को मान्य	र है। इस हेतु	आवेदक
	*	intervals throughout the transmission line in consultation with the State Government, and			त्र दिनांक 23	.04.2024 संद	नग्न है।
		the directions issued by the	परिशि	ष्टि— 6			
		is a Companie Collection time to time.	बच मं	- andre	- Arron fc		
H	11.	The User Agency in consultation with the	44 44	ज्लाधका ज् ल ा	री मरवाही द्वार	। आषधा रोपप	ग हेतु 6
	7	r - restion and maintenance of	वषाय	आसाचत	योजना प्रस्तुत	की गयी है।	योजना
		AWALI Species (Dicicianty)	अनुसा	र राशि र	ন. 403790.00 ও	आवेदक संस्था	न द्वारा
			आनला	ईन परिवे	श पोर्टल के मा	ध्यम से कैम्पा	खाते में
		transmission line and provide funds for execution of the said scheme to the State					
		6 - Lenter Power 2034 (1) doc					

	Forest Department. A copy of the same shall be submitted along with Stage-1 compliance	310
	report.	परिशिष्ट- 2 से होती है।
_	The user agency in consultation with the State	7 1 1 4 4 1
	Government shall create and maintair alternate habitat/home for the avifauna, whose	हितु अनुमानित राशि रू. 12,00000.00 आवेदक
	nesting trees are to be cleared in this project.	. संस्थान द्वारा आनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से
	Bird's nests artificially made out of eco- friendly material shall be used in the area,	प्राचा खारा म 27.06.2024 का जमा का गई ह
	including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the	जिसकी पुष्टि परिशिष्ट— 2 से होती है। साथ ही
	project.	7-11 304 41 (1(d)4) (4.49)(1) 0,1, 6
		अनुमोदन में जो अंतर की राशि देय होगी उसे जन
		करने हेतु आवेदक संस्थान का वचनबद्ध है।
13.	Width of right C	परिशिष्ट– 8
13.	Width of right of way for the transmission line shall be limited to 35m. The minimum	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का
	clearance between conductors and trees shall be 4.6 m.	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
14.		परिशिष्ट- 9
17.	The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। इस हेतु आवेदक
	through forest areas issued by Ministry vide	संस्थान का पत्र दिनांक 23.04.2024 संलग्न है।
	letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014 and by the Hon'ble Supreme	परिशिष्ट— 10
	Court from time to time.	
15.	Silan Oblain Environmental	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है।
	Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if	
16	applicable.	
16.	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का
	Government.	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
17.	No lokeur - Lui	परिशिष्ट- 11
17.	No labour camp shall be established on the forest land;	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का
		आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
18.	Sufficient 5	परिशिष्ट- 12
10.	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का
	the labourer after purchasing the	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
	the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal	परिशिष्ट- 13
	source of alternate fuel.	
19.		
Joe Sultably (1	so suitably demarcated on ground at the	आवेदक संस्थान द्वारा वृक्षों के विदोहन एवं परिवहन
	Project cost, as per the directions of	रेपु शाश रू. 249267.00 एवं सीमांकन हेत राजि क
	concerned Divisional Forest Occ	The state of the s
	Divisional Forest Officer.	133960,00 कुल राशि रू. 403227.00 डी.डी क
	Divisional Forest Officer.	927133 दिनांक 22.04.2024 वनमण्डलाधिकारी
	Divisional Forest Officer.	153960.00 कुल राशि क. 403227.00 डी.डी. क्र. 927133 दिनांक 22.04.2024 वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, पेण्ड्रारोड (छ.ग.) के पी.डी खाते में जमा किया गया है।

20.	No additional or new path will be constructed	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का
	inside the forest area for transportation of	आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।
	construction materials for execution of the project work.	परिशिष्ट— 14
21.	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। परिशिष्ट— 15
2	3. The forest land proposed for diversion, shall under no circumstances, be transferred to any other agencies, department or any person without prior approval of Govt. of India.	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। परिशिष्ट– 16
	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 and other relevant rules/	शर्त आवेदक संस्थान को मान्य है।
	orders in this regard. 25. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	परिशिष्ट— 17
	The compliance report shall be uploaded	प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया प्रकरण में भारत सरकार, उप कार्यालय, नवा रायपुर को शासन स्तर से अंतिम चरण स्वीकृति हेतु लेख किये जाने का अनुरोध है।

• संलग्नकः

उपरोक्तानुसार

(परिशिष्ट- 1 से 17)

(वन बल प्रमख द्वारा अनुमोदित)

君

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ) . छत्तीसगढ़

पृ. क. / भू - प्रबंध / विद्युत / 479 - 182 / 1838 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः रायपुर, दिनांक 24/07/2027

प रूपाल । किस्पालन अधिकारी, (कैस्पा) नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। कैस्पा मद में निस्नानुसार राशियां जमा की गई मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (कैस्पा) नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। कैस्पा मद में निस्नानुसार राशियां जमा की गई

है:-		राशि रू.	रिमार्क
蛃.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	4572362 + 457262	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु मरवाही वन
1 4110	सातपूरा हुना ।	(50,29,624)] मंडल के कक्ष कमांक PF-2357 रकबा
	शुद्ध प्रत्याशा मूल्य	26,14,440	4.30 हे. दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र में
2.	्रकेस्ट्री जोपण	4,03,790	प्रस्तावित किया गया है।
3.	एवीफौना योजना	12,00,000	

- 2. **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)**, छत्तीसगढ़, रायपुर। प्रथम चरण स्वीकृति के शर्त क्रमांक (5) के पालन में।
- 3. **मुख्य वन संरक्षक**, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
- क्षेत्रीय कार्यालय नवा रायपुर द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की स्वीकृति दिनांक 26.03.2024 की सहपठित भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन के चेप्टर—4 पैरा 12 के अनुसार आवेदक के व्यय पर सीमांकन उपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अनुमोदन उपरांत एक वर्ष के लिये कार्य करने की अनुमित जारी की जाती है। किये जाने वाले कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किये गये जाबदर तथा नाम्स के अधीन रहेंगे तथा मुख्य वन संरक्षक इसका लेखा वन मंडलाधिकारियों से मासिक रूप से प्राप्त करेंगे। यह कार्यनुमित पत्र जारी होने के केवल एक वर्ष तक ही प्रभावी रहेगी।
 - वृक्षों के विदोहन का कार्य उत्पादन प्रभाग से विदोहन की अनुमित प्राप्त किया जावे एवं वन मंडलाधिकारी पी.डी खाते से आहरण की अनुमित पृथक से भू—प्रबंध प्रभाग से प्राप्त करेंगे।
 - 4. **वन मंडलाधिकारी**, मरवाही वन मण्डल, मरवाही , छत्तीसगढ़।
 - 5. **कार्यपालन अभियंता**, अति उच्च दाब (संधारण), संभाग छत्तीसगढ़ स्टेट पावर एण्ड ट्रांसिमशन कंपनी लिमि. कोरबा, छत्तीसगढ़। प्रकरण परिवेश पोर्टल पर आपके स्तर पर लंबित है अतः तत्काल पालन प्रतिवेदन आनलाईन अपलोड करे।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्र./वन (सं. एवं सं.) अ) छत्तीसगढ